न्यायालय सिविल जज (सी0डि0), विकासनगर, देहरादून

मूल वाद सं0 140 वर्ष 2022

1. श्री अमित कुमार सिंह पुत्र श्री बिरजा सिंह निवासी 163/2, चन्दननगर, आलमबाग, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
2 श्री कायम सिंह पुत्र श्री लखमी सिंह निवासी–आई–14, सर्वोदयनगर, इन्दिरा नगर, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)।
3 श्री हिमांशु कुशवाहा पुत्र श्री राम अवध कुशवाहा निवासी– फ्लैट नं0 304, सहस्त्रधारा रोड, विस्टलिंग वुड अपार्टमेन्ट देहरादून, जिला देहरादून। (वादी सं0 01 व 02 द्वारा मुख्तारेआम वादी सं0 03)

बनाम

1. श्री मदन लाल पुत्र स्व0 श्री सुग्गन राम
2. श्री सुरेश पाल उर्फ सुरेश कुमार
3. श्री बलबीर पाल
4. श्री राकेश कुमार तीनों पुत्रगण श्री दल्लाराम समस्त निवासीगण–ग्राम झीवरहेड़ी, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून।
5. टी0वी0एल0 हाईटैक पॉलीमर प्रा0 लि0 द्वारा निदेशक श्री गौरव जैन पुत्र स्व0 श्री दिनेश जैन, पंजीकृत कार्यालय– 4ए, रेसकोर्स देहरादून।

दिनांक–13.12.2023

वाद पुकारा गया। पत्रावली पेश हुई। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री कपिल राणा एवं प्रतिवादी सं0 2 ता 4 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री आर0के0 लोंगानी तथा प्रतिवादी सं0 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विजय कुमार गुप्ता उपस्थित।

2. वादीगण की ओर से स्थगन प्रार्थना पत्र कागज सं0 43सी2 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी सं0 1 के वारिसानों का पता नहीं चल रहा है जिस कारण प्रतिस्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में अन्य तिथि प्रदान किये जाने की प्रार्थना की गयी है। जिस पर प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति करते हुए अंकित किया गया है कि महोदय प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु की सूचना दिनांक 03.08.2023 को दे दी गयी थी। वारिस कायमी का समय समाप्त हो गया है। वाद अवेट हो गया है।

3. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

4. पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु से सम्बंधित सूचना सम्बंधी प्रार्थना पत्र प्रतिवादी सं0 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिनांक 03.08.2023 को कागज सं0 41सी2 के रूप में प्रस्तुत किया गया और प्रार्थना पत्र में अंकित है कि दिनांक 16.04.2023 को प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु हो गयी है। इस प्रकार दिनांक 03.08.2023 को वादीगण को प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु सूचना प्राप्त हो, किंतु आज की तिथि तक वादीगण द्वारा प्रतिवादी सं0 1 के विधिक वारिसान को

पक्षकार बनाये जाने हेतु कोई प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि परिसीमा अधिनियम के प्रावधानानुसार 90 दिन के अंतर्गत मृतक के विधिक वारिस को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जाना चाहिए।

5. प्रस्तुत मामले में प्रतिवादी सं0 1 ता 4 द्वारा कथित विक्रय पत्र दिनांक 14.08.2020 को प्रतिवादी सं0 5 के पक्ष में अंकित किया जाना कागज सं0 11सी1 से विदित होता है एवं कागज सं0 10ए1 से प्रतिवादी सं0 1 ता 4 द्वारा वादीगण के पक्ष में पंजीकृत विक्रय अनुबंध पत्र दिनांकित 21.06.2019 किया जाना विदित होता है। इस प्रकार प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण संयुक्त है और प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु के कारण तथा परिसीमा विधि के प्रावधानानुसार नियत समयावधि में मृतक के विधिक वारिस को पक्षकार बनाये जाने हेतु प्रार्थना पत्र न दिये जाने को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मत में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध उपशमित हो गया है और ऐसे में वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पोषणीय न होने के कारण निरस्त किया जाता है और वाद उपशमित होने के कारण पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(रवि शंकर मिश्रा)
सिविल जज (सी0डि0)
विकासनगर, देहरादून।